Volume: 4 Issue: 6 Pages: 150-152

गोरखपुर नगर पंचायतों में महिलाओं की सहभागिताः एक विश्लेषण

[*1] प्रेमचन्द प्रियदर्शी एंव [2]डा. पूजा नायक

[*1] शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर, सम्बद्धः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उतार प्रदेश, भारत।

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर, सम्बद्धः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उतार प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 28/ May/2025
Accepted: 26/June/2025

***Corresponding Author**
प्रेमचन्द प्रियदर्शी
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर, सम्बद्धः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उतार प्रदेश, भारत।

सारांश:
वर्ष 1992-93 में भारत में संवैधानिक संशोधन के पश्चात् पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का समय प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में चुनी गई महिलाएँ पुरुष रिश्तेदारों की कठपुतली मात्र बनकर रह गई थी, किन्तु धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन आया है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से वृद्धि करके 50 प्रतिशत करने की पहल ने महिला नेतृत्व की स्थिति को और अधिक मजबूती प्रदान की है। पंचायतो में वर्ष दर वर्ष सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी रही है। वर्तमान स्थिति पंचायतों में भागीदारी होने के साथ ही उनमें आत्मनिर्भरता बढी है, जागरुकता, आत्मविश्वास बढ़ा है। राजनीतिक रूप से जागरुक महिलाएँ पंचायतों के चुनाव लड़ रही है, और चुनाव जीतकर स्वतंत्र निर्णय विकास कार्यों पूर्ण सकारात्मक बदलाव कर रही है। इस तरह यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायतों के माध्यम से ही महिलाओं के राजनीतिक एवं सशक्तिकरण अभियान को वृद्धि मिली। पंचायतों में बढ़ती भागीदारी के कारण महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे निकल पाई है।

मुख्य शब्दः पंचायत, महिला नेतृत्व, राजनीतिक भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधि ।

प्रस्तावना:

भारत में पंचायतों का अस्तित्व प्राचीन काल से लेकर, 1992 में सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे पुनः जीवित करने का प्रयास किया सन 1993 में कार्य स्वरूप में आया। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें यह सिफारिश की गई कि पंचायत स्तर पर चुने हुए सदस्यों में दो महिलाएँ, एक सदस्य अनुसूचित जाति एक अनुसूचित जनजाति, इसका अर्थ यह है कि महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा गया कि वे पंचायत के कार्यों को सम्पन्न कर सके, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट द्वारा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया इस समिति ने संविधान संशोधन विधेयक के प्रारूप को तैयार किया, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया, बाद में कुछ राज्यों जैसे केरल, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, ने राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा दिखाकर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किए।

प्रारम्भ में पंचायतीराज संस्थाओं में महिला आरक्षण लागू होने से महिलायें पंचायतों में चुनकर आई पंचायत सम्बन्धित कार्य उनके पति, रिश्तेदार ही महिला पंचायत की भूमिका निभाते है। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण संस्थाओ में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शुरु होता है। पंचायतीराज संस्था में सम्मिलित परिवर्तन में राजनीतिक व्यवस्था निर्णय लेने की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार लाने का उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाने के लिए उचित पहल और उपाय करके ही महिला सशक्तिकरण तब ही सम्भव बनाया जा सकता है। जब तक उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, राजनीतिक गतिविधियों के निम्तम स्तर पर भी अधिक संख्या में महिलाओं को राजनीतिक मामलों में जोड़ने और जोडने का प्रावधान करके इस उद्देश्य को वांछित स्तर पर प्राप्त किया जाना चाहिए।

"प्रिया" स्वैच्छिक संस्था व उसके सहयोगी संस्थाओं ने चार राज्यो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल हरियाणा की 195 ग्राम पंचायतो का अध्ययन कर निष्कर्ष दिया कि लगभग 60 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि

पुनः पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहती है। साथ भविष्य में होने वाले पंचायतों में महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि पंचायतों में महिलाओं के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन किया है जो महिलाओं को आने वाले समय में अधिक प्रभावी ढंग से स्थानीय स्वशासन में प्रभावी भागीदार बनाने में सहायक होगा।

किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के समस्त घटकों एवं आयामों में विकास हो। राष्ट्र के विकास में सामाजिक विकास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश के सतत् विकास के लिए समाज के सभी घटकों जैसे शोषित व कमजोर वर्ग, महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध आदि सभी का विकास हो। इस दिशा में देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक प्रयास किए है, जो उनकी उन्नति का कारण बने है। भारतीय संविधान में प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास एवं कल्याण के लिए विशेष प्रावधान दिये गये है। इन्ही प्रा प्रावधानों संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत राज में तथा 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरी निकाय में एक तिहाई पदों पर आरक्षण दिया गया है।

विश्व के अनेक देशों का अनुभव रहा है कि ग्रामीण एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए बेहतर उपाय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मिल सकता है इस दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण रहा है। यहां के पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था के कारण विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सबसे अधिक महिलाएँ भारत में निर्वाचित हुई है। नगर पंचायतों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि महिलाओं के नेतृत्व में आगे आने से विकास कार्यों को अधिक निष्ठा एवं ईमानदारी से आगे जाने, आपसी सूझ-बूझ से कार्य करने हरियाली एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नशा कम करने जैसे सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने में सफलता मिलती है। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदत्त आरक्षण के साथ-साथ स्वयं की रुचि योग्यता एवं नेतृत्व क्षमता के कारण पंचायतों में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, साथ ही पंचायतों में अपनी भूमिका निभा रही है लेकिन साथ में चुनौतियाँ खत्म नहीं हो रही है। प्रभावी भूमिका निभाने हेतु उनके अनेक समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक सीमाए रोड़ा अटका रही है परिवार व समाज का परिवेश उन्हें अनुमति नहीं देता है कि वे खुलकर पंचायतों में हिस्सा ले सकें।

महिला पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न अध्ययन बताते है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में रह रहा है। राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण यह बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिका में भी इनकी संख्या नगण्य है महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत गैर-पंचायत कार्यालयों में पुरुष वर्ग का सहयोग नहीं मिल पाता है। जिस वजह से वे अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाती है। जिसका प्रभाव उनके कार्य सम्पादन पर पड़ता है। यद्यपि महिलाओं के समक्ष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक सीमाएँ है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका समाधान नहीं है।

महिलाओं की गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम व अन्य कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे है जिसमें महिलाओं के जिए विशेष प्रावधान है। इसी वजह से महिलाओं की दशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये कार्यक्रम पंचायतों के माध्यम से ही लागू किये जाते हैं। जिनमें महिलाओं की भागीदारी रहेगी, उन्हीं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से बदलाव आएगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा। साथ महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व क्षमता निर्माण एवं नेतृत्व सम्बधी भूमिकाओ को लेकर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। वर्तमान में पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की अनिवार्यता का नियम लागू है। जिनके अनुसार पंचायत प्रमुख व सदस्यों सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जबकी सामान्य श्रेणी की महिला, अनुसुचित जाति व जनजाति के उम्मीदार के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित किया गया, निश्चित ही इस नियम से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पर सकारातमक असर पड़ेगा। अतः जो महिलाएँ जनप्रतिनिधि चुनी जाती है। उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पंचायत से जुड़े फैसले स्वतः ही करने होगे।

पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व के लिए संवैधनिक प्रावधान

सभी राज्यों की पंचायतो में महिलाओं के लिए लगभग 50 प्रतिशत आरक्षण लाने के जिए 110वाँ सविधान संशोधन विधेयक 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन कई बार पेश किए जाने के वावजूद यह पारित नहीं हो सका ।

- 73वें संविधान संशोधन में राज्य विधानमण्डलो द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायतराज प्रणाली की नींव के रूप में ग्रामीण सभा की परिकल्पना की गई है।
- 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 सम्पूर्ण भारत में पीआर आई में महिलाओं के लिए 33.3 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 243(D) में प्रावधान है कि पंचायतीराज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों की कुल संख्या एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिन्हें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित किया जाएगा।
- महिलाओं के लिए अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों का ऐसा आरक्षण पंचायतीराज सस्थाओं के सभी तीन स्तरो में एससी और एसटी के लिए आरक्षण के अन्तर्गत भी है।

पंचायतीराज संस्था में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियाँ

74वे संवैधानिक संशोधन से यह आशा लगाई गई थी कि इस अधिनियम के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के आगमन से न केवल उनका निजी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण होगा, अपितु राजनीति में उनके प्रवेश से गुणवत्तापूर्वक एवं परिमाणात्मक रूप से भी सुधार आएगा इसका एक बड़ा कारण यह है कि महिलाओं का दृष्टिकोण, उनकी समझ, उनके मसले और उनकी चुनौतियों की एक अवधारणा बन सकेगी। पंचायतीराज संस्था में महिला प्रतिनिधियों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बहुत सारी महिलायें ऐसी है जिनको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं की जाती है जिसकी कारण से बहुत सारी महिलायें अगर चुनाव लड़ती भी है तो उनको अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करना पड़ता है। उनके पुरुष सहकर्मी कार्यस्थल पर संवेदनशीलता दिखाते है। क्योकि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति का बैंठकों में भागीदारी को पसन्द करते हैं क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी पुरुष सदस्यों के साथ काम करने में असहज

महसूस करते हैं घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ पर्दा प्रथा और घरेलू हिंसा उनकी कार्यशैली पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। पर्याप्त ज्ञान और कौशल का अभाव होने के कारण अधिकांश महिला प्रतिनिधि पहली बार सार्वजनिक जीवन में प्रवेश नहीं कर रही है, उनके पास पंचायतों के मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त ज्ञान और कौशल का अभाव है। सरकारी प्रशिक्षण एजेंसिया द्वारा जो परीक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है वे कार्यक्रम सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय पर कवरेज करने में असमर्थ हैं इन अपर्याप्त क्षमताओ के कारण से महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

जातिवाद की बेड़ियाँ को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता की मनाही करता है और कानूनी तौर पर इसे अमल में जाने पर दण्ड दिया जाता है। लेकिन ग्रामीण भारत में पदानुक्रमित जाति व्यवस्था आज भी स्वतंत्रता पूर्व की भाँति ही बनी हुई है। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर की सरकार में भागीदार करना मुश्किल कर देती है। आरक्षण के प्रावधान के तहत यदि ये चुन कर सत्ता में आती है तो जाति इनकी स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल बना देती है।

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को अधिकार प्रदान किये गए है किन्तु यदि महिलाएँ राजनीति में आने और भागीदारी के लिए साहसिक कदम उठाना भी चाहती है तो उन्हें अक्सर समुदाय से अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जमीदारी एवं प्रभुत्व संम्पन्न लोग जो परम्परागत रूप से सत्ता को सम्भाल रहे है उनको महिलाओं का राजनीति में आना रास नहीं आ रहा है वे अपनी कुर्सी को असुरक्षित मान रहे है।

उच्च प्रशासनिक स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व की कमी

पंचायतीराज संस्थाओं के अलावा अन्य स्तर पर भी महिला नेतृत्व में कमी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकती है आरक्षण के कारण वे सत्ता में तो आ जाती है क्योंकि ये आरक्षण 5 वर्षों के पश्चात बदल जाता है। जिनके वजह से नये पदाधिकारियों में बहुत कमी पाई जाती है ये कभी केवल ग्रामीण पंचायतों में ही नहीं अपितु नगर पंचायत स्तर पर भी मिलती है जिसके परिणामस्वरूप इनको स्वतंत्र काम काज करने में बाधा आती है।

निष्कर्ष:

अंततः कहा जा सकता आधी आबादी कही जाने वाला महिला वर्ग अवसर व पद होने पर अपने कुशल नेतृत्व व प्रबंधन का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं रहती है। पंचायत राज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व क्षमताएं सामने प्रकट हुई है साथ ही साल दर साल सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है यह तथ्य इस बात को संकेतित करने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह महिलाएँ राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही है पंचायतों में महिला नेतृत्व की बड़ी सफलता महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन इसके बावजूद पंचायत में महिलाओं के समक्ष कई तरह की चुनौतियाँ विद्यमान है। अतः पंचायतों में महिलाओं को उनके अधिकार शक्तियाँ, उत्तरदायित्वो तथा पंचायतीय कार्यवाही करने हेतु विभिन्न नियमों व कानूनी के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है साथ ही पुरुष का वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है।

वे अपनी मानसिकता बदलें और आधी आबादी को सहयोग है तभी महिलाएँ पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निर्वाह कर पाएगी महिला प्रतिनिधि के समक्ष कई तरह की चुनौतियां, है फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाते हुए पंचायत सम्बन्धी कार्य तत्परता से कर रही हैं और सामाजिक दृष्टिकोण अपनी सफलता की इबारत लिख रही। वस्तुतः पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से महिलाओं की परिदृश्य बदल रहा है।

सन्दर्भ सूची:

1. महिपाल, ''पंचायतीराज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली पृष्ठ-15
2. सेमपाल, राजेश्वरी, ''पंचायतों में महिलाएँ समय साक्ष्य'', देहरादून, 2015, पृष्ठ-166
3. चैधरी, कृष्ण चंद्र, ''पंचायतो में महिलाओं की भागीदारी'', कुरुक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 9. जुलाई 2018, पृष्ठ-49
4. खटीक, भवानी मल, ''पंचायतीराज यथार्थ के आइने में आधुनिक भारतीय समाज: चुनौतियाँ एवं परिवर्तन'', साहित्यकार, जयपुर 2016, पृष्ठ-44
5. डॉ. प्रदीप कुमार दहन, ''वीमेन रिप्रजेंटेशन इन ग्राम पंचायत इन हरियाणा'', (श्रम्ज्प्त्), खंड 5, अंक 4, अप्रैल 2018
6. डॉ0 धीरज यादव, ''रोल ऑफ वीमेन इन लोकल गवर्नमेंट इन पंचायती राज इंस्टिटसन्न देशीरिक और रियलिटी'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड साइंस कम्यूनिकेशन एंड टेक्नोलोजी, खंड 4, अंक 1, अप्रैल 2021
7. अशोक कुमार झा, ''वीमेन इन पंचायती राज इंस्टिटशन्न'', अनमोल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, दिसम्बर 2004
8. श्वेता मिश्रा, ''पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता'', ग्रामीण न्यूज लेटर 1977
9. रविंदर कुमार शर्मा, ''सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध महिला सरपंच'', कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010
10. चैधरी, कृष्ण चंद्र, ''पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी'', कुरुक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 9. जुलाई 2018, पृष्ठ-49
11. महिपाल, ''पंचायती राज: फाईइंयर्स ऑफ एक्सपीरियंस'', प्रिया, (1998) नई दिल्ली फरवरी।
12. शेखर, हिमांशु, ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी'', कुरुक्षेत्र, वर्ष 60, अंक 3, जनवरी 2014, पृष्ठ-19-20